

राजस्थान सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प (राजसमन्) जिला-राजसमन् के अन्तर्गत

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी द्वारा लो.शा.मु.प. व भू.अ.वि. का हकवली रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नाराय तहसीलदार की म. की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम का.मा.लो. की राहसील. की म. व जिला. विभाग की जमाबन्दी सम्वत् 2072 में खाता संख्या 21, 23, 24 में वर्तमान में वर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हामाते श्री गुआर	21	तारुसिंह पिं कालूसिंह	तारुसिंह पिं कालूसिंह
		23	तारुसिंह पिं कालूसिंह	तारुसिंह पिं कालूसिंह
		24	तारुसिंह पिं कालूसिंह	तारुसिंह पिं कालूसिंह

[Signature]
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक :- 125/282

दिनांक :- 4/10/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। तारुसिंह पिं कालूसिंह

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 जिला-राजसमन्